न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :— श्री नीरज मिश्र आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 174/2010

वादी		प्रतिवादीगण
1 लालाराम पुत्र ताराराम जाति कुम्हार निवासी नारणोणियों की ढाणी, भाड़खा तहसील व जिला बाड़मेर।	बनाम	1 ताराराम पुत्र खीमाराम जाति कुम्हार निवासी नारणोणियों की ढाणी, भाड़खा तहसील व जिला बाड़मेर 2 शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा भाड़खा बाड़मेर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 RTA Act.

उपस्थिति :— 1. श्री देवीलाल कुमावत, वकील वादीगण।
2. श्री भजनलाल गोदारा, वकील प्रतिवादी संख्या 01।

निर्णय

दिनांक 18/12/13

संक्षिप्त में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद कथन इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01, खीमाराम के वंशज है तथा हिन्दु होने से हिन्दु विधि से शासित है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 की पैतृक भूमि मौजा नारणोणियों की ढाणी पटवार क्षैत्र भाड़खा तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 88 रकबा 02.18 बीघा, खसरा संख्या 330/89 रकबा 62.3 बीघा व खसरा संख्या 331/89 रकबा 12.06 बीघा कुल रकबा 77.07 बीघा भूमि आई हुई है। वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 01 के पिता खीमाराम की फौतगी पर वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 01 ताराराम के नाम दर्ज हुई। वादी, प्रतिवादी संख्या 01 ताराराम के विधिक वारिस है। वादी का वादग्रस्त भूमि में जन्म से ही हित निहित हो गया है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 ताराराम प्रत्येक का वादग्रस्त भूमि में 1/2–1/2 हिस्सा खातेदारी का बनता है, जिसे घोषित करवाने की वादी अधिकारी है।

वकील प्रतिवादी संख्या 01 ताराराम की और से वाद कथन को स्वीकार करते हुए ईकबाली जवाब एवं राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक है। वादी, प्रतिवादी संख्या 01 ताराराम के वंशज होने के कारण पैतृक भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का 1/2–1/2 हिस्सा जन्म से निहित है। वादी को उक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 के साथ सहखातेदार घोषित कर 1/2–1/2 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है तो उसे कोई आपति नही है।

वादी संख्या 01 लालाराम एवं प्रतिवादी संख्या 01 ताराराम द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र सामिल मिसल किया गया। वादी संख्या 01 लालाराम एवं प्रतिवादी संख्या 01 ताराराम द्वारा शपथ पत्र में अंकित किया कि वाद पत्र में अंकित समस्त कथन सही है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील वादी द्वारा वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है। पैतृक भूमि में वादी का जन्म से हिस्सा निहित है। लिहाजा वादी को प्रतिवादी संख्या 01 ताराराम के साथ सहखातेदार घोषित करते हुए प्रत्येक का 1/2–1/2 हिस्सा घोषित किया जावे।

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

Scanned by CamScanner

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2012 से 2031 एवं जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 एवं राजीनामा का भी अवलोकन किया गया। उक्त दस्तावेजात के आधार पर वादग्रस्त भूमि पैतृक होना प्रमाणित है तथा पैतृक भूमि में वादी का हिस्सा जन्म से निहित है। माफिक राजीनामा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 ताराराम के साथ अपना हिस्सा घोषित करवाने के अधिकारी है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि प्रतिवादी संख्या 01 ताराराम का हिस्सा राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा भाड़खा के पक्ष में रहन है।

अतः वादी का वाद माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर मौजा नारणोणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 88 रकबा 02.18 बीघा, खसरा संख्या 330/89 रकबा 62.3 बीघा व खसरा संख्या 331/89 रकबा 12.06 बीघा कुल रकबा 77.07 बीघा भूमि में वादी को प्रतिवादी संख्या 01 ताराराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी 01 प्रत्येक का 1/2-1/2 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 01 ताराराम का हिस्सा राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा भाड़खा में रहन है। **अतः तहसीलदार बाडमेर निर्णय की पालना रहन मुक्ति के पश्चात करें।** खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। डिकरी पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बाड़मेर

सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 14/5/18 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बाड़मेर

सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री नीरज मिश्र (आर.ए.एस.)　　　अन्तिम डिक्री

अनवान

वादी		प्रतिवादीगण
1 लालाराम पुत्र ताराराम जाति कुम्हार निवासी नारणोणियों की ढाणी, भाड़खा तहसील व जिला बाड़मेर।	बनाम	1 ताराराम पुत्र खीमाराम जाति कुम्हार निवासी नारणोणियों की ढाणी, भाड़खा तहसील व जिला बाड़मेर 2 शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा भाड़खा बाड़मेर।

दावा बाबत् 88 रा.का.अ.

मुकदमा नम्बर :– 174 / 2019

निर्णय दिनांक :– ...18.11.2019........

वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी संख्या 01 की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख ...18.11.2019...... को श्री नीरज मिश्र, सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बाड़मेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम डिकरी निम्नप्रकार दी जाती है कि :–

अतः वादी का वाद माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर मौजा नारणोणियों की ढाणी पटवार क्षैत्र भाड़खा तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 88 रकबा 02.18 बीघा, खसरा संख्या 330 / 89 रकबा 62.3 बीघा व खसरा संख्या 331 / 89 रकबा 12.06 बीघा कुल रकबा 77.07 बीघा भूमि में वादी को प्रतिवादी संख्या 01 ताराराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी 01 प्रत्येक का 1 / 2–1 / 2 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 01 ताराराम का हिस्सा राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा भाड़खा में रहन है। अतः **तहसीलदार बाडमेर निर्णय की पालना रहन मुक्ति के पश्चात करें।** खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

यह आज तारीख ...18.11.19........ को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(नीरज मिश्र)
पीठासन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, बाड़मेर

सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्सप	
3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 .... रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामिल		जोड़	
जोड़			

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2020.01.20 13:26:56 IST
Reason: SelfAttested
Location: